

30/10
2019

प्रसावली आज प्रस्तुत हुई।
ककुला प्रकीर्ण अस्मिन्।

इस कार्ड से सम्बन्धित

राजस्व कार्ड संख्या 04/2019
सम्बन्धित अन्तर्गत धारा
188 राजस्व का व्याप्त्यारी
अधिकार 1955 का निर्णय
हो चुका है। मूल कार्ड का
निर्णय हो जाने से यह
प्रकार का कार्ड ही
चुका है।

अतः प्राचीन अन्तर्गत
धारा 212 राजस्व का व्याप्त्यारी
अधिकार 1955 का यह ही
जाते से व्यवहार किया जाता
है।

प्रसावली प्रस्तुत हुआ।

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
विलाडा

